(138)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील कमाक /2016 जवलपुर A 3885-I-16

1. पुसउ उर्फ पुष्पम
2. देवी सिंह
3. रवि
4. जगदीश वल्द तुलसीराम
5. दुर्गा
6. धन्नी उर्फ झुन्नीबाई
7. भूरी उर्फ सेमवाई पुत्री तुलसीराम

समस्त निवासीगण हालमुकाम ग्रम नान्हाखेडा तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1.मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर

2.राज अवस्थी पिता श्री भगवत प्रसाद अवस्थी निवासी 1432 सुभाष नगर स्टेशन के सामने , तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. .....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 पारित अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 179/अ–21/2015–2016 मे पारित आदेश दिनांक 7.11.2016 के विरूद्ध।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम लम्हेटी प.ह.नं. 26 रा.नि.मं.जवलपुर–2 तहसील व जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 62 रकवा कमशः 0.960हे0

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3885/1/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
19.12.2016	यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण कमाक 179/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 07–11–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 की धारा 44 कें अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम लम्हेटी प.ह.नं. 26 रा.नि.मं. जवलपुर–2 तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 62 रकवा कमशः 0.960 हे0 कुल है0 उबड –खाबड होने एंव अन –उपजाउ होने के कारण भूमि को विकय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस आवेदन पत्र से कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 179/अ–21/2015–16 पंजीबद्ध किया जाकर अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से आदेश दिनांक 7.11.2016 से प्रकरण को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3– अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । 4– अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 62 रकवा 0.960 हे.के विकय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि भूमि कम उपजाउ है फसल पैदा	

नही हो पाती है कृषि हेतु अनुपयुक्त है अपीलार्थीगण आपस मे भाई बहन है और उक्त भूमि के भूमिस्वामी है। तीनो बहने दुर्गा, धन्नी, ,भूरी पुत्री तुलसीराम का विवाह हो जाने के कारण वर्तमान में अपने अपने ससुराल ग्रमो में निवासरत है जिसके कारण हम सभी बहने अपने पित्र ग्रम नान्हाखेडा में स्थित उक्त कृषि भूमि की देखभाल नही कर पाते है जिसके कारण हम भाई बहनो ने विचार करते हुये यह निर्णय लिया उक्त भूमि को विकय करके उससे प्राप्त विकय मूल्य को आपस मे बराबर –बराबर वाट ले जिससे हम सभी सहमत है तथा वाजार का कर्ज चुकाने हेतु पैसो की अति आवश्यकता है एवं उक्त भूमि को बेचकर शेष बच रही भूमि को उन्न्त करने हेतु । जिसके कारण विकय की जाने वाली भूमि के विकय उपरांत वह भूमिहीन नही होगा एंव भूमि विकय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत वना सकेगा । भूमि विकय का प्रयोजन भी सद्‌भावना पर आधारित है जिसके कारण विकय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नही आती है। वैसे भी अपीलांट द्धारा विकय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्धारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है, अधिनस्थ न्यायालय द्धारा आवेदिका के हिता को ध्यान मे रखे वगेर ही मनमाने पूर्ण तरीके से प्रकरण को निरस्त करने मे वैधानिक भूल की है जो न्याय संगत नही है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकय की अनुमति दिये जाने मे किसी प्रकार की बैधानिक अडचन नही है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0–08–माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1)भू–राजस्व संहिता ,1959 (म0प्र0)–धारा 165(7–ख)तथा 158 (3) का लागू होना –उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये –बिना अनुमति के भूमि का अंतरण–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –उपबंध आकर्षित नही होते–भूमिस्वामी का अंतरण का

अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन–का सिद्धात –नवीन उपवंध का अंतःस्थापन –भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया –ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नही की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू–राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)–धारा 165(7–ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंर्जित किये –भूमि का विकय कर सकता है–कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नही है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 179/अ–21/2015–16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्राम लम्हेटी प.ह.न. 26 रा.नि.मं. जवलपुर–2 तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 62 कुल रकवा 0.960हे0 के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1–भूमि का कय–विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2–भूमि का कय –विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3–केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य